



आरईसी
REC

असीमित ऊर्जा, अनन्त संभावनाएं
Endless energy. Infinite possibilities.

महारत्न कंपनी

आरईसी लिमिटेड
और
पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड
के बीच
वित्तीय वर्ष 2024-25
का समझौता ज्ञापन





आरईसी लिमिटेड
और
पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड
के बीच
वित्तीय वर्ष 2024-25 का
समझौता ज्ञापन



आरईसी लिमिटेड का वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए

समेकित समझौता ज्ञापन

क्र.सं.	मापदंड का नाम	यूनिट	वेटेज	लक्ष्य 2024-25
1	संचालन से राजस्व	रु. करोड़ में	10	56,322
2	राजस्व के प्रतिशत के रूप में ईबीटीडीए	%	10	37.80
3	निवल संपत्ति पर रिटर्न	%	10	21.70
4	नियोजित पूंजी पर रिटर्न	%	5	11.12
5	परिसंपत्ति टर्नओवर का अनुपात	%	5	9.64
6	कुल उपलब्ध धनराशि में वितरित ऋण	%	18	100.00
7	कुल ऋणों के लिए अतिदेय ऋण	%	5	0.28
8	कुल ऋणों के लिए एनपीए	%	10	0.94
9	समान रेटिंग वाले सीपीएसई की तुलना में बॉण्ड्स के माध्यम से धन जुटाने की लागत	बीपीएस	5	-15
10	निर्दिष्ट समय के भीतर टीआरईडीएस पोर्टल के माध्यम से वस्तुओं और सेवाओं के चालान की स्वीकृति/अस्वीकृति	%	5	100
11	अनुमोदित खरीद योजना के अनुसार जीईएम से खरीद	%	2	100
12	शेयरधारकों को कुल रिटर्न	%	15	100
	कुल		100	

टिप्पणियाँ:

- बेंचमार्किंग के लिए प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा प्रदान किए गए विजन पर भी विचार किया जाता है।
- टीआरएस मापदंड को बीएसई 500 इंडेक्स पर बेंचमार्क किया जाएगा और बेंचमार्क रेंज के अनुसार उपलब्धि के लिए आनुपातिक अंकन किया जाएगा।
- टीआरएस पर मापदंड को छोड़कर 50% से 100% लक्ष्य की उपलब्धि के लिए आनुपातिक अंक।
- लक्ष्य के 50.00% से कम की उपलब्धि के लिए कोई अंक नहीं।

समझौता ज्ञापन वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए अनुपालन मापदंड

क्र.सं.	मापदंड	अंक	स्रोत/सत्यापन
1	सीपीएसई द्वारा सीएसआर व्यय पर समय-समय पर डीपीई दिशानिर्देश जारी किए जाते हैं।	-1	प्रशासनिक मंत्रालय
2	निगमित सुशासन पर कंपनी अधिनियम, 2013 (या सूचीबद्ध संस्थाओं के मामले में सेबी (एलओडीआर) विनियम) के प्रावधानों का अनुपालन, जैसे: (i) निदेशक मण्डल की संरचना, (ii) बोर्ड की समितियां (लेखापरीक्षा समिति आदि), (iii) बोर्ड की बैठकें आयोजित करना, (iv) संबंधित पार्टी लेन-देन, (v) प्रकटीकरण और पारदर्शिता।	-3	सीएजी/वैधानिक/सचिवीय लेखापरीक्षक रिपोर्ट(रिपोर्टों) के आधार पर प्रशासनिक मंत्रालय
3	वस्तुओं और सेवाओं की कुल खरीद के % के रूप में एमएसई के माध्यम से वस्तुओं या सेवाओं की खरीद: 25%	-1	संबंध पोर्टल के आधार पर प्रशासनिक मंत्रालय
4	वस्तुओं और सेवाओं की कुल खरीद के % के रूप में एससी/एसटी एमएसई के माध्यम से वस्तुओं या सेवाओं की खरीद: 4%	-1	संबंध पोर्टल के आधार पर प्रशासनिक मंत्रालय
5	वस्तुओं और सेवाओं की कुल खरीद के % के रूप में महिला एमएसई के माध्यम से वस्तुओं या सेवाओं की खरीद: 3%	-1	संबंध पोर्टल के आधार पर प्रशासनिक मंत्रालय
6	सीपीएसई में मानव संसाधनों के स्वास्थ्य और सुरक्षा सुधार के लिए उठाए गए कदम और पहल (लक्ष्य प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा निर्धारित किया जाएगा)	-1	प्रशासनिक मंत्रालय



स्थान: दिल्ली/गुरुग्राम
दिनांक: 2 अगस्त, 2024

31 जुलाई, 2024 को आयोजित आईएमसी बैठक के बाद, 2 अगस्त, 2024 को डीपीई द्वारा अद्यतन समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी गई।







असीमित ऊर्जा, अनन्त संभावनाएं
Endless energy. Infinite possibilities.

महारत्न कंपनी

आरईसी लिमिटेड

(भारत सरकार का महारत्न उद्यम)

पंजीकृत कार्यालय: कोर-4, स्कोप कॉम्प्लेक्स, 7, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003

कॉर्पोरेट कार्यालय: प्लॉट नंबर आई-4, इफको चौक मेट्रो स्टेशन के पास, सेक्टर-29, गुरुग्राम-122001 (हरियाणा)

दूरभाष: +91 124 444 1300 | वेबसाइट: www.recindia.nic.in | सीआईएन: L40101DL1969GOI005095

हमें फॉलो करें     @reclindia



contactus@recindia.com



www.recindia.nic.in